(309)

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)
संख्या :– 17–तक0 को0–312/2018.....10932

प्रेषक,

जय सिंह, भा0प्र0से0
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

समाहर्त्ता–सह–बंदोबस्त पदाधिकारी,
बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, नालंदा, शेखपुरा, मुंगेर, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, किशनगंज, कटिहार, पूर्णियाँ एवं अररिया।

पटना, दिनांक :–28-09-2020

विषय :– आपके जिलों में विगत् वर्षों में हुए विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य से संबंधित कागजातों को उस समय के कार्यरत अमीनों से प्राप्त करने एवं संरक्षित रखने के संबंध में।

प्रसंगः– भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय का पत्रांक– 828 दिनांक– 30.05.2019 एवं पत्रांक– 408 दिनांक– 28.02.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों का कृपया स्मरण किया जाय। आप अवगत है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अधिसूचना संख्या– 1574 दिनांक– 01.10.2012, 188 दिनांक– 03.09.2015 तथा 1973 दिनांक– 03.11.16 के आलोक में आपके जिलों में विशेष भू–सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त का कार्य किया गया है। निदेशालय के पत्रांक– 477 दिनांक– 20.03.2019 द्वारा संसूचित किया गया था कि अब तक किये गये कार्यों की जाँच एवं समीक्षा तकनीकी मार्गदर्शिका के आलोक में कर ली जाय ताकि तकनीकी एवं वैधानिक रूप से भू–सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त का कार्य हो। साथ ही निदेशालय के पत्रांक– 828 दिनांक– 30. 05.2019 एवं पत्रांक– 408 दिनांक– 28.02.2020 के द्वारा पूर्व में किये गये विशेष सर्वेक्षण संबंधी कागजातों को संरक्षित कर समीक्षा कर लेने का अनुरोध किया गया था।

उक्त के क्रम में आशा है कि आपके जिले में उल्लेखित अधिसूचनाओं के आलोक में विगत् वर्षों में हुए विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यों से संबंधित कागजातों को संबंधित मौजे के उजरतभोगी अमीनों/संविदा अमीनों से प्राप्त कर संरक्षित कर लिया गया होगा। उल्लेखनीय है कि वर्तमान समय में आपके जिलों में विशेष सर्वेक्षण अमीनों द्वारा विशेष सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। इस परिस्थिति में जिन मौजों में पूर्व में विशेष सर्वेक्षण का कार्य किया गया है, उससे संबंधित कागजातों की आवश्यकता होगी, अतः यह आवश्यक है कि उन कागजातों को पूर्व के उजरतभोगी अमीनों/संविदा अमीनों से प्राप्त कर संरक्षित कर लिया गया हो। यदि पूर्व के कार्यों से संबंधित कोई कागजात पूर्व के उजरतभोगी अमीनों /संविदा अमीनों के पास रह जाता है तो कार्य में बाधा उत्पन्न हो सकती है।

अतः अनुरोध है कि यदि विशेष सर्वेक्षण कार्यों से संबंधित पूर्व में किए गए कार्यों से संबंधित किसी भी तरह का कागजात उजरतभोगी अमीनों/संविदा अमीनों के पास शेष रह गया हो उसे अविलंब बन्दोबस्त कार्यालय में प्राप्त कर लिया जाय। साथ ही जिला बन्दोबस्त कार्यालय से इस आशय का प्रमाण–पत्र भी प्राप्त कर लिया जाय कि सभी उजरतभोगी अमीनों/संविदा अमीनों से जिन मौजों के लिए उनके द्वारा विशेष सर्वेक्षण कार्य किया गया है, से संबंधित सभी कागजात प्राप्त कर ली गई है। यदि किसी उजरतभोगी अमीन अथवा संविदा अमीन द्वारा कागजात उपलब्ध नहीं कराया जाता है या अपूर्ण कागजात उपलब्ध कराया जाता है तो उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाय और आवश्यकतानुसार कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

विश्वासभाजन

(जय सिंह) 28/9/20
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

D:\Sanjeev-2020\Birendra Kumar ASO\director\File No.-312-2018 23.09.2020.doc

ज्ञापांक :– 17–तक0 को0–312 / 2018.........10932.........पटना, दिनांक :– 28-09-2020

प्रतिलिपिः– राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जिलों के लिए प्राधिकृत वरीय नोडल पदाधिकारी / निदेशालय के स्तर से जिलों के लिए प्राधिकृत नोडल पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः – 17–तक0 को0–312 / 2018.........10932......... **पटना, दिनांक :–** 28-09-2020

प्रतिलिपिः– सुश्री सुरभि सिंह, एम0आई0एस0, डाटा एनालिस्ट, आई0टी0 सेल, भू–अभिलेख एवं परिमाप के निदेशालय के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु एवं सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः – 17–तक0 को0–312 / 2018.........10932......... **पटना, दिनांक :–** 28-09-2020

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप